(108)

न्यायालय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

प्र. क्र. / निग. 1661-III-15

सोनी उर्फ मनोहर यादव पुत्र राजाराम यादव
उम्र 60 वर्ष, धंधा खेती निवासी ग्राम
पोहा खास तह. निवाडी जिला टीकमगढ
म.प्र. ---- आवेदक

विरूद्ध

मु. रामदेवी बेवा पुत्री निरपत वंशकार
निवासी ग्राम पोहाखास तह. निवाडी
जिला टीकमगढ म.प्र.

2. तहसीलदार निवाडी -- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 क, नये संशोधन अधि. 2011
म.प्र. भू.रा.स. 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 3.5.14 द्वारा
पारित तहसीलदार निवाडी जिला टीकमगढ प्र.क्र. 25/ अ-12
/13-14 रामदेवी विरूद्ध मनोहर यादव के निर्णय से दुखी होकर

श्रीमान जी,

आवेदक की निगरानी तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:-

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1. यह कि, अना. क्र. 1 द्वारा ग्राम पोहा के सर्वे न. 581 रकबा 1.040 स्थित ग्राम पोहाखास को अपना भूमि स्वामी बताते हुये आर आई व मौजा पटवारी से मिलकर फर्जी सीमांकन कार्यवाही कराई जिसमें दिनांक 25.4.14 को एक दिखावटी सूचना पत्र तैयार किया जिस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है और ...

श्री राम सेवक शर्मा, अभि. द्वारा आज दि. 2-6-14 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 2-6-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1661-तीन/2014 जिला टीकमगढ **सोनी विरूद्ध** रामदेवी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-12-2018 31.12.18	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा एवं अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित । आवेदक के द्वारा तहसीलदार निवाडी के प्रकरण क्रमांक 25/अ/12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 03-05-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 02-06-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया	

जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

31.12.18

(आर.के. जैन)
सदस्य